कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण

(नगर निगम भवन, पोलेटेक्निक कॉलेज परिसर, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर)

(cmcsouth5@gmail.com Tel: 0291-2651464, Fax:2651466)

कमांक :– अग्नि / 13 / JFS / दक्षिण / 2023–24 / 471 दिनांक :– 31-07-2023

ई–निविदा सूचना

U.B.No. ....DLB2324WSOB15005.......

जोधपुर नगर निगम (दक्षिण) की ओर से नगर निगम जोधपुर (दक्षिण) के एरियल हाइड्रोलिक प्लेटफार्म लेडर 42 मीटर रेस्क्यू एवं फायर फाईटिंग वाहन संख्या आरजे–19–ई ए–1618 संचालन रखरखाव एवं संधारण कार्य की ई–निविदा एक वर्ष के लिए अनुभवी एवं योग्य प्रतियोगियों से आमंत्रित की जाती है। निविदा की विस्तृत शर्तें

http://eproc.rajasthan.gov.in, sppp.rajasthan.gov.in, पर व जोधपुर नगर निगम की वेबसाईट urban.rajasthan.gov.in/mcjs से प्राप्त की जा सकती है।

आयुक्त
जोधपुर नगर निगम दक्षिण

कमांक :– अग्नि / 13 / JFS / दक्षिण / 2023–24 / 472-484 दिनांक :– 31-07-2023

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान् महापौर / उपमहापौर, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
2. अति. आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
3. उपायुक्त, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
4. अधिक्षण अभियंता, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
5. राजस्थान संवाद जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन हेतू।
6. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी, / सहायक लेखाधिकारी नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
8. सहायक अभियन्ता गैरेज नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
9. बिल लिपिक, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
10. श्री रामेश्वर गहलोत प्रोगामर नगर निगम जोधपुर दक्षिण को भेजकर लेख है कि उक्त ई–निविदा सूचना urban.rajasthan.gov.in/mcjs, पर अपलोड करें।
11. प्रबंधक ओसवाल डाटा, नगर निगम जोधपुर दक्षिण को भेजकर लेख है कि sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड करें एवं निविदा सूचना प्रकाशन हेतू राजस्थान संवाद जयपुर को मेल के माध्यम से भिजवायें।
12. नोटिस बोर्ड, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
13. गार्ड फाईल।

Signature valid
Digitally signed by Utsav Kaushal
Designation: Commissioner
Date: 2023.07.29 17:54:15 IST
Reason: Approved

आयुक्त
जोधपुर नगर निगम दक्षिण

RajKaj Ref No. : 4406549

कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण

(नगर निगम भवन, पोलेटेक्निक कॉलेज परिसर, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर)
(cmcsouth5@gmail.com Tel: 0291-2651464, Fax:2651466)

क्रमांक :– अग्नि / 13 / JFS / दक्षिण / 2023–24 / 471 दिनांक :– 31–07–2023

DLB2324WSOB15005

अल्पकालीन ई निविदा सूचना संख्या

नगर निगम जोधपुर दक्षिण की ओर से निविदा शर्तो के अनुसार अनुभवी एंव योग्य फर्मो / सवेंदको से निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्युरमेन्ट प्रकिया से निम्न कार्यो हेतु ऑन लाईन निविदाएं आमत्रित की जाती है। जो निम्नलिखित दिनांक अनुसार डाउनलोड तथा खोली जायेगी।

महत्वपूर्ण दिनांकों का विवरण

विवरण	समय	दिनांक
ऑन लाईन निविदा फार्म मिलना आरम्भ होने एंव जमा कराने प्रारम्भ होने की दिनांक व समय।	12-30 PM	01-08-2023
ऑन लाईन निविदा फार्म जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय।	12.30 PM	08-08-2023
निविदा शुल्क / धरोहर राशि / प्रकिया शुल्क की मूल प्रति मुख्य अग्निशमन अधिकारी शास्त्री नगर फायर स्टेशन कार्यालय में जमा कराने कि दिनांक एंव समय।	02.00 PM	— " —
ऑन लाईन निविदा खोलनें की तारीख।	03.00 PM	— " —

निविदा का विवरण निम्न प्रकार है–

क्र. स	कार्या का नाम	कार्य की अनुमनित लागत (लाखों में)	धरोहर राशि	निविदा शुल्क	प्रक्रिया शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1.	जोधपुर नगर निगम दक्षिण की एरियल हाइड्रोलिक प्लेट फार्म लेडर 42 मीटर रेस्क्यू एंव फायर फाईटिंग वाहन संख्या आरजे–19–ईए– 1618 का संचालन रखरखाव एवं संधारण कार्य	19 लाख	38000 / –	1000 / –	1000 / –	1 वर्ष

Signature valid
Digitally signed by Utsav Kaushal
Designation: Commissioner
Date: 2023.07.29 17:54:15 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4406549

निविदा की महत्वपूर्ण शर्ते निम्नानुसार है :–

1. निविदा प्रपत्रों को वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदकों को निविदा को इलेक्ट्रोनिक फॉर्मेट में वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करनी होगी।
2. निविदा की प्रकिया ऑन लाईन होगी।
3. निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवंश यदि निविदाएं नहीं खोली जा सकती है तो उसके अगले कार्य दिवस को निविदायें खोलने का कार्य जारी रखा जावेगा।
4. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रकिया शुल्क हेतु निम्नलिखित राशि के डी.डी/बैंकर चैक की मूल प्रति जोधपुर नगर निगम (दक्षिण) कार्यालय में नियमानुसार निविदा खोले जाने के समय से पूर्व में जमा करवाना आवश्यक है।

कम सं.	शुल्क विवरण	शुल्क राशि	भुगतान का प्रकार	देय
1	निविदा शुल्क	1000/–	डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक	आयुक्त नगर निगम जोधपुर (दक्षिण)
2	धरोहर राशि	38000/–	डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक	आयुक्त नगर निगम जोधपुर (दक्षिण)
3	ई–टेण्डरिंग प्रकिया शुल्क	1000/–	डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक	MD RISL,jaipur

5. प्रदत दरें निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवसों तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य (Valid) रहेगी। यदि निविदादाता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तो में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
6. यदि संवेदक के नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त संबंधी व उनके पति/पत्नी) कार्य से संबंधित अधीनस्थ कार्यालय में खण्डीय लेखाकार अथवा सहायक अभियन्ता से लेकर अधीक्षण अभियन्ता स्तर का किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो तो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
7. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीनियर या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य की अनुमति के बिना सेवानिवृति के पश्चात 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों मे कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहां से सेवायें लेने से पहले नहीं ली है, तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा।
8. निविदा में निविदादाताओं से अंतर राशि परफोरमेन्स सिक्यूरिटी के रूप में प्राप्त करने के पश्चात ही स्वीकृति निविदा का कार्यादेश दिया जायेगा।
9. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार निम्नहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा।

Signature valid
Digitally signed by Utsav Kaushal
Designation: Commissioner
Date: 2023.07.29 17:54:15 IST
Reason: Approved

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर दक्षिण

RajKaj Ref No. : 4406549

कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण

जोधपुर नगर निगम (दक्षिण) की एरियल हाइड्रोलिक प्लेटफार्म लेडर 42 मीटर रेस्क्यू एवं फायर फाईटिंग वाहन संख्या आरजे–19–ई ए–1618 संचालन रखरखाव एवं संधारण कार्य की निविदा

1. कार्य की परिभाषा :–

जोधपुर नगर निगम (दक्षिण) की एरियल हाइड्रोलिक प्लेटफार्म लेडर 42 मीटर रेस्क्यू एवं फायर फाईटिंग वाहन संख्या आरजे–19–ई ए–1618 संचालन रखरखाव एवं संधारण कार्य की निविदा एक वर्ष के लिए करने बावत्।

2. निविदा प्रस्तुत करना :–

1. निविदा द्वि स्तरीय बिड पद्धति के अनुसार ऑनलाईन आमंत्रित की गयी है जिसमे प्रथम तकनिकी बिड होगी जिसमें तकनिकी निविदा के साथ मांगे गये सभी दस्तावेज एवं निविदा के लिए निर्धारित तकनीकी मापदण्डों से संबंधित सभी दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी। द्वितीय बिड वित्तीय बिड होगी जिसमें उपरोक्त कार्य करने हेतु कार्य की दर ऑनलाईन ही अपलोड किये गये निर्धारित प्रारूप (BOQ) में प्रस्तुत करनी होगी। तकनीकी बिड में निविदा के लिए निर्धारित मापदण्डों के परिपेक्ष्य में योग्य पाये जाने पर सफल निविदादाताओं की वित्तीय बिड खोली जायेगी जिसकी सूचना पृथक से प्रेषित की जायेगी।
2. पत्राचार हेतु नगर निगम का पता :–

"आयुक्त"
जोधपुर नगर निगम (दक्षिण) जोधपुर,
पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर, गौरव पथ, जोधपुर।
फोन नं. – 02912651464

संवेदक का पत्राचार हेतु पता (संवेदक अपना स्थाई पता , फैक्स, ई–मेल, फोन नं. अंकित करें) :–

....

....

3. <u>संवेदक की पात्रता :–</u>

3.1 निविदादात/फर्म का वस्तु एवं सेवाकर कार्यालय (GSTIN) में पंजीयन होना आवश्यक है।

3.2 फर्म की एकल या साझेदारी स्थिति में उपरोक्त कार्य हेतु वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होनी चाहिए। फर्म का गत 3 वित्तीय वर्षो में औसत टर्न ओवर 25 लाख रूपये वार्षिक से कम नहीं होना चाहियें।

3.3 किसी भी तरह का joint venture या फर्म के एक से अधिक पार्टनर होने पर अनुबंध एवं निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर करने के लिए दी गई पॉवर ऑफ एटार्नी जमा करवाना होगा तथा

(क) संवेदको एवं फर्मो/व्यक्तियों के पंजीकृत अनुबन्ध की सत्यापित फोटो प्रति प्रस्तुत करेगा। पंजीकरण निविदा खोलने की दिनांक से पूर्व होना चाहिये।

(ख) निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिये अधिकार पत्र, सभी पार्टनरस् का हस्ताक्षर किया हुआ, प्रस्तुत करेगा।

Signature valid
Digitally signed by Utsav Kaushal
Designation: Commissioner
Date: 2023.07.20 17:54:15 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4406549

(ग) जोईन्ट वेन्चर के रूप में प्रत्येक पार्टनर संविदा कार्य को करने के लिए संयुक्त रूप से उतरदायी होंगे तथा प्रत्येक पार्टनर व्यक्तिगत रूप से भी कार्य के लिए विधिक रूप से उतरदीय होंगें।

(घ) सफल संवेदक होने की स्थिति में अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने एवं अन्य कार्य करने के लिए अधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ड) जोईन्ट वेन्चर के अनुबन्ध में मुख्य व्यक्तियों की जिम्मेदारियों, संसाधनों एवं कार्य के लिए वित्तीय स्थिति की पूर्ण जानकारी अंकित की जानी चाहिए।

3.4 बिडर के पास सभी अनुभवी वाहन चालक कम ऑपरेटर (एरियल हाइड्रोलिक प्लेटफार्म लेडर 42 मीटर रेस्क्यू एवं फायर फाईटिंग) वाहन चलाने के ड्राइविंग लाईसेंस की प्रतिलिपी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नगर निगम दक्षिण अग्निशमन शाखा कार्यालय से मुख्य अग्निशमन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी।

3.5 निविदादाता फर्म/संवेदक किसी भी सरकारी कार्यालय/अर्द्धसरकारी कार्यालय/नगर निगम से ब्लैकलिस्ट नहीं होना चाहिए तथा फर्म/संवेदक का कोई भी नजदीकी रिश्तेदार जोधपुर नगर निगम (दक्षिण) में कार्यरत नहीं होना चाहियें। इससे संबंधित स्वयं का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3.6 फर्म द्वारा गत तीन वर्षो में कम से कम एक वर्ष तक निविदा में अंकित कार्य का अनुभव होना चाहिये। उक्त अनुभव प्रमाण पत्र सहायक अग्निशमन अधिकारी से नीचे रेंज के अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ नहीं हो।

4. तकनीकी निविदा के साथ में निविदादाता द्वारा निम्न पत्र/दस्तावेज अपलोड किये जावेंगे :–

1. निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क हेतु डी.डी/बैंकर चैक की स्केन की प्रति।
2. PAN CARD एवं GSTIN, EPF & ESIC पंजीयन प्रमाण पत्र की स्केन प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. टर्न ओवर के प्रमाण स्वरूप सी.ए. द्वारा जारी प्रमाण पत्र या गत तीन वर्षो की सी.ए द्वारा अंकेक्षित बैलेन्स शीट की स्केन प्रति।
4. कार्यानुभवन के लिए सबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की स्केन प्रति।
5. जोईन्ट वेन्चर या फर्म के एक से अधिक पार्टनर होने पर निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर करने के लिये दी गई पॉवर ऑफ एटार्नी एवं पंजीकृत अनुबन्ध की स्केन प्रति।
6. निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पेज पर आवेदक के हस्ताक्षर व सील लगाकर निविदा प्रपत्र की स्केन प्रति।
7. संवेदक द्वारा परिशिष्ट 'ब' में अंडरटेकिंग की स्केन प्रति।
8. ब्लैक लिस्ट नहीं होने एवं फर्म/संवेदक का कोई भी नजदीकी रिश्तेदार जोधपुर नगर निगम (दक्षिण) में कार्यरत नहीं होने से संबंधित घोषणा पत्र की स्केन प्रति। रूपये 100/– के नान–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर)
9. संवेदक द्वारा RTPP Act के सेक्शन 7&10 में घोषणा पत्र की स्केन प्रति।

Signature valid

Digitally signed by Utsav Kaushal
Designation: Commissioner
Date: 2023.07.20 1?:54:15 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4406549

10. GST/EPF/ESIC का भुगतान समय पर संबंधित विभाग में जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा संवेदक को तीन माह की GST/EPF/ESIC के चालान की प्रति निविदा के साथ संलग्न करनी होगी।

11. श्रम प्रावधानों के अनुसार राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम1958 के पंजीयन होना आवश्यक है। पंजीयन प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

नोट :– उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 9 तक निर्धारित तकनीकी मापदण्डों हेतु आवश्यक उल्लेखित दस्तावेज 'ई' निविदा में तकनीकी बिड के साथ अपलोड करने होंगे। उपरोक्त दस्तावेज 'ई' निविदा में तकनीकी बिड के साथ अपलोड नहीं करने या अपलोड किये गये दस्तावेजों पर संशय होने पर निविदा समिति निविदादाताओं से स्पष्टीकरण हेतु दस्तावेज मांगने हेतु स्वतंत्र है। निविदादाता द्वारा स्पष्टीकरण हेतु दस्तावेज दी गई समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने पर निविदा दाता को तकनीकी बिड के मुल्यांकन में अयोग्य घोषित करते हुए उनकी वित्तीय बिड नहीं खोली जाएगी।

टेन्डर को निम्नलिखित नियम व शर्तो की पालना सुनिश्चित करनी होगी

भाग – ब

1. बिडर एरियल हाईड्रालिक प्लेटफार्म लेडर का ऑपरेशन एवं रखरखाव मेन्टीनेन्स कार्य 1 वर्ष अवधि तक करने को बाध्य रहेगा। रखरखाव मेन्टीनेन्स कार्य हेतु उपयोग में लिये जाने वाले पार्टस पी ओ एल आदि का भुगतान नगर निगम जोधपुर (दक्षिण) द्वारा किया जावेगा।
2. बिडर को निविदा शर्तो के अनुसार ए एच एल पी वाहन आर जे–19–ई ए–1618 का 1 वर्षो तक ऑपरेशन कार्य हेतु योग्य एवं प्रशिक्षित एक ड्राईवर कम ऑपरेटर तथा एक हेल्पर 24 घण्टे 8–8 घण्टे की तीन शिफ्ट में ए एच पी एल वाहन के पास रखेगा जो निगम के मुख्य अग्निशमन अधिकारी/सहायक अग्निशमन अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य करेंगें व उक्त वाहन को इनके निर्देशानुसार बतायें गये स्थल पर ले जाकर दमकल शाखा के कर्मचारियेां के साथ ऑपरेशन कार्य करेंगें।
3. बिडर ए एच पी एल वाहन के संचालन व रखरखाव मेन्टीनेन्स कार्य नगर निगम जोधपुर (दक्षिण) के अधिकारी व मुख्य अग्निशमन अधिकारी के निर्देशानुसार करने को बाध्य होगा अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो बिडर पर पेनेल्टी लगायी जाएगी व कानूनी कार्यवाहीं भी की जाएगी।
4. बिडर के ऑपरेटर ड्यूटी के दौरान अग्निशमन केन्द्र पर ए एच एल पी वाहन की साफ सफाई स्टार्ट, रखरखाव मेन्टीनेन्स आदि समस्त कार्य प्रतिदिन करेंगे व वाहन को ले जाकर बताया गया कार्य करना होगा व 24 घण्टे 8–8 घन्टे ड्राईवर कम ऑपरेटर तथा एक हेल्पर उक्त वाहन के संचालन हेतु वाहन के पास राउण्ड द क्लोक विद आवश्यक स्टाफ के साथ उपस्थित रहेंगे व सहायक अग्निशमन अधिकारी व मुख्य अग्निशमन अधिकारी के आदेशानुसार कार्य करने को बाध्य होंगे। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो बिडर पर पेनेल्टी जो न्यूनतम 2 हजार रूपये प्रतिदिन होगी लगायी जायेगी व कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

Signature valid
Digitally signed by Utsav Kaushal
Designation: Commissioner
Date: 2023.07.20 17:54:15 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4406549

5. अनुबंध की अवधि तक बिडर ए एच पी एल वाहन के रखरखाव, मेन्टीनेन्स कार्य करने को बाध्य रहेगा साथ ही बिडर उक्त वाहन के सफल संचालन हेतु आवश्यक ब्रान्टो स्काई लिफट कम्पनी के ऑरिजीनल पार्ट एवं आवश्यक सामान, स्पेयर पार्टस रखेगा ताकि आवश्यकता पडने पर वाहन को तुरन्त रिपेयर किया जा सके व ए एच एल पी वाहन संचालन 24 घण्टे जारी रह सके। ऑपरेशन कार्य करने वाले ऑपरेटरो के अनुभव व योग्यता आदि के प्रमाण पत्र मुख्य अग्निशमन अधिकारी को उपलब्ध करवाने होंगे।
6. बिडर ए एच पी एल वाहन ब्रान्टो स्काई लिफट कम्पनी के ऑरिजीनल पार्ट एवं आवश्यक सामान की व्यवस्था रखेगा जो मुख्य अग्निशमन अधिकारी को निरीक्षण करवायेगा जिनका भुगतान नगर निगम जोधपुर (दक्षिण) द्वारा बिडर को किया जावेगा।
7. बिडर ए एच पी एल मशीन को कार्यरत स्थिति में रखने के लिए स्पेयर पार्टस की लिस्ट मय उक्त की कीमत मुख्य अग्निशमन अधिकारी, नगर निगम जोधपुर (दक्षिण) को उपलब्ध करवायेगा। जो दरे अनुबन्ध अवधि तक मान्य रहेगी।
8. बिडर ए एच पी एल के आवश्यक स्पेयर व पीओएल की व्यवस्था रखेगा जिनको स्टॉक में इन्द्राज करके रखना होगा ताकि ए एच एल पी वाहन का 24 घण्टे संचालन हो सके।
9. बिडर स्पेशल एवं जनरल टूल्स, जैक व अन्य सामान जो वाहन के ऑपरेशन व मेन्टीनेन्स के लिए आवश्यक हो वो नगर निगम जोधपुर (दक्षिण) स्वयं की कीमत पर रखेगा साथ ही बीडर के मेकेनिक व इन्जिनीयर द्वारा रेगुलर ए एच एल पी मशीन का निरीक्षण किया जावेगा, व इसका रिकोर्ड बनाया जाकर मुख्य अग्निशमन अधिकारी नगर निगम जोधपुर (दक्षिण) को सुपूर्द करना होगा।
10. बिडर की पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि अनुबन्ध अवधि में उक्त ए एच एल पी वाहन जिसका उपयोग आग बुझाने एवं बचाव व अन्य कार्यो हेतु किया जावेगा 24 घण्टे कार्यरत स्थिति रहें।
11. बिडर नगर निगम जोधपुर (दक्षिण) के निविदा शर्तो एवं कार्यादेशों में वर्णित समस्त बिन्दुओं की पालना करने को बाध्य रहेगा। अन्यथा नगर निगम जोधपुर (दक्षिण) द्वारा बिडर पर निविदा शर्तो व कार्यादेश के अनुरूप कार्यवाही की जावेगी।
12. गाडी का ऑपरेशन कार्य बिडर के ऑपरेटर द्वारा किया जावेगा अतः ऑपरेशन समय के दौरान एक वर्ष की अनुबंध अवधि में ए एच एल पी वाहन संख्या आर जे–19–ई ए–1618 को कोई भी क्षति या नुकसान पहुचता है और उक्त का बीमा क्लेम नहीं मिलता है तो उक्त नुकसानी के भरपाई की जिम्मेदारी बिडर की होगी नगर निगम जोधपुर (दक्षिण) उक्त नुकसान को बिडर से वसूल कर सकेगा।
13. ए एच पी एल वाहन के ऑपरेशन हेतु लगायें जाने वाले ऑपरेटर द्वारा आदेशों की अवहेलना करने, बताया गया कार्य नहीं करने, ए एच एल पी वाहन की सही देखरेख नहीं करने व नशे आदि की स्थिति में पाये जाने व कार्य पर नहीं आने, कार्य छोडकर चले जाने पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी उक्त ऑपरेटर को तुरन्त ए एच एल पी वाहन के ऑपरेटर कार्य से हटा सकेंगे व बिडर तुरन्त अन्य ऑपरेटर की व्यवस्था करने को बाध्य होगा व नगर निगम जोधपुर (दक्षिण) पेनेल्टी वसूल कर सकेगा। जो एक बार में न्यूनतम 2000/– रू होगी।

Signature valid

Digitally signed by Utsav Kaushal
Designation : Commissioner
Date: 2023.07.29 17:54:15 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4406549

14. ए एच पी एल वाहन के साथ दिये गये स्पेशल, जनरल टूल्स व सामान व ए एच एल पी वाहन की देखरेख –सुरक्षा आदि की सम्पूर्ण जिम्मेदारी बिडर व उनके ऑपरेटरों की होगी। अगर उक्त में कोई भी सामान चोरी होता है गायब होता है तो उसकी जिम्मेदारी बिडर की होगी व बिडर उक्त सामान की तुरन्त पूर्ति करने को बाध्य होगा। अन्यथा नगर निगम जोधपुर (दक्षिण) बिडर से पेनेल्टी सहित उक्त सामान की कीमत वसूल कर सकेगा।
15. ऑपरेशन कार्य के दौरान बिडर के ऑपरेटरों द्वारा ए एच एल पी वाहन से किसी अन्य को क्षति पहुचाई जाती है व उक्त तृतीय पार्टी क्लेम बीमा द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है तो उक्त भुगतान के लिए नगर निगम जोधपुर (दक्षिण) की जिम्मेदारी नही होगी बिडर उक्त के लिये जिम्मेदार होगा।
16. बिडर के ऑपरेटर को नगर निगम जोधपुर (दक्षिण) किसी भी प्रकार का भुगतान का क्लेम देने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ऑपरेटरो का वेतन व अन्य लाभ आदि के लिये बिडर जिम्मेदार होगा। नगर निगम जोधपुर (दक्षिण) अनुबन्ध के अनुरूप राशि प्रतिमाह वाहन ऑपरेशन कार्य हेतु बिडर को भुगतान करेगा।
17. ऑपरेशन समयावधि के दौरान बिडर के किसी भी ऑपरेटर को किसी भी प्रकार की क्षति पहुचती है तो नगर निगम जोधपुर (दक्षिण) किसी भी प्रकार का क्लेम के भुगतान व विवाद के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
18. बिडर को अग्निशमन सेवा के न्यूनतम 2 फायरमैन को प्रतिमाह ए एच एल पी वाहन ऑपरेट किए जाने का प्रशिक्षण दिया जाना होगा एवं इसका अग्निशमन अधिकारी नगर निगम जोधपुर (दक्षिण) से प्रमाणीकरण करवाया जाकर बिल भुगतान किए जाने हेतु प्रस्तुत करना होगा। इसके अभाव में बिडर का उस माह का बिल भुगतान नही किया जाएगा।
19. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र जोधपुर होगा।

<u>नियम व शर्ते :–</u>

1. बिडर द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन चालक के पास उक्त वाहन चलाने का आर.टी.ओ द्वारा जारी संबंधित श्रेणी का लाईसेन्स एवं वाल्वो वाहन चलाने का लाईसेन्स होना अनिवार्य होगा। तथा ए एच एल पी वाहन के ऑपरेशन की पूर्ण जानकारी एवं अनुभव को सुनिश्चित करना होगा।
2. वाहन चालक फिजिकल फिट होना अनिवार्य है, इसके लिए फिटनेस का मेडिकल प्रमाण पत्र पेश करना होगा जिसमें सभी प्रकार के टेस्ट सम्मिलित होंगे।
3. ए एच एल पी 42 मीटर ए एच एल पी (बहुमंजिला इमारतों में फायर फाईटिंग एवं रेस्क्यू वाहन) के संचालन के लिए 24 घण्टे एक वाहन चालक कम ऑपरेटर शास्त्रीनगर अग्निशमन केन्द्र पर रखना होगा।
4. वाहन चालक को यातायात के नियमों की सम्पूर्ण जानकारी होनी आवश्यक है।
5. किसी वाहन चालक के अनुपस्थित रहने की दशा मे बिडर को अन्य वाल्वों चलाने में दक्ष वाहन चालक को तत्काल उपलब्ध करवाना होगा। अन्यथा जुर्माना देना होगा।
6. बिडर को श्रम नियम कानून की पालना करनी होगी।

Signature valid
Digitally signed by Utsav Kaushal
Designation: Commissioner
Date: 2023.07.29 17:54:15 IST
Reason: Approved

7. राज्य सरकार द्वारा सर्विस टैक्स या अन्य कोई भी टैक्स लगाया जाता है तो इसके भुगतान की जिम्मेदारी बिडर की रहेगी।
8. वाहन चालक को निगम द्वारा निर्धारित वर्दी में रहना अनिवार्य होगा। वाहन चालक को वर्दी बिडर स्वयं के खर्चे से उपलब्ध करायेगा। अन्यथा प्रतिदिन रू 50/– प्रति कर्मचारी पेनेल्टी देनी होगी।
9. वाहन चालक को वाहन में किसी भी प्रकार की खराबी होने पर तत्काल CFO/AFO को सूचित करना होगा।
10. वाहन चालक को वाहन से संबंधित आवश्यक रिपेयरिंग की जानकारी होना आवश्यक है। ए एच एल पी वाहन में कम्प्यूटर सिस्टम के मेन्टेनेन्स, रखरखाव बिडर के ऑपरेटर द्वारा किया जायेगा ताकि वाहन में होने वाली साधारण खराबी भी वह रिपेयरिंग कर सके।
11. कार्य समयावधि के पूर्व अनुबन्ध के अनुसार बीच में छोड देने पर नगर निगम द्वारा परफोरमेन्स गारन्टी राशि जब्त की जावेगी। परफोरमेन्स गारन्टी वार्षिक ठेका राशि की 5 प्रतिशत होगी। यह राशि कार्यादेश पूर्व बैंक गारन्टी या एन.ए.सी/एफ.डी.आर के रूप में आयुक्त नगर निगम (दक्षिण) के पक्ष में देय होगी।
12. वाहन का बीमा नगर निगम जोधपुर (दक्षिण) अपने स्तर पर करायेगी।
13. बिडर के स्टाफ द्वारा वाहन का असावधनी एवं लापरवाहीपूर्वक संचालन करने पर वाहन को होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति बिडर को करनी होगी।
14. वाहन चालक के डूयटी पर आने–जाने व ड्यूटी समय में कार्य के दौरान किसी भी तरह की घ टना–दुघटना होने पर समस्त जिम्मेदारी बिडर की होगी।
15. डयूटी पर तैनात वाहन चालक किसी भी प्रकार व्यसन लेना, नशा करना, ताश खेलना, अथवा किसी भी प्रकार का अनैतिक आचरण नहीं करेगा।
16. वहन चालक का कार्य कुशल न होने, अनुशासन में नहीं रहने, लापरवाही बरतने पर निगम निर्देशानुसार वाहन चालक को बदलना पडेगा।
17. यदि किसी कारणवश कोई वाहन चालक डयूटी पर नहीं आ सके तो उसके एवज में दूसरा वाहन चालक बिडर को उपलब्ध कराना होगा। अन्यथा प्रति पारी 1000/– रूपये की पेनेल्टी लगाई जायेगी।
18. उपलब्ध कराये गये प्रत्येक वाहन चालक की कार्य कुशलता, सजगता, व्यवहार एवं अच्छे आचरण बाबत् किन्ही दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र बीडर द्वारा प्राप्त कर नगर निगम जोधपुर (दक्षिण) को प्रस्तुत करना होगा। एवं समस्त स्टाफ कर्मियों को कार्यालय अनुशासन का पूर्ण पालन करना होगा।
19. बिडर को श्रम नियमों के अनुसार प्रत्येक माह भुगतान करना होगा। न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी की शिकायत प्राप्त होने पर बीडर स्वयं जिम्मेदार होगा तथा नियमानुसार बिडर के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

Signature valid

Digitally signed by Utsav Kaushal
Designation: Commissioner
Date: 2023.07.29 17:54:15 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4406549

भाग – स

नियम व शर्तें :–

01. ए एच पी एल वाहन और मशीनो के संधारण एवं संचालन में काम में आने वाले औजार बिडर द्वारा उपलब्ध कराने होंगे।

02. वाहन के खराब होने की दशा में प्रभारी (CFO/FO) द्वारा बताये गये निर्धारित समय में मरम्मत का कार्य बिडर को पूर्ण करना होगा। माइनर रिपेयर कार्य तत्काल करना होगा अन्यथा रूपये 2000/– प्रति दिवस की पेनेल्टी लगाई जाएगी। मरम्मत हेतु समय का निर्धारण संबंधित प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जायेगा जिसके लिये बिडर बाध्य होगा।

03. ए एच पी एल वाहन का रख–रखाव वाहन निर्माण कम्पनी के मेन्टीनेन्स शिड्यूल के अनुसार करना होगा। शिड्यूल की जानकारी प्रभारी अधिकारी द्वारा दी जाएगी। वाहन का यथोचित रख–रखाव नहीं करने, मशीनों का गलत/असावधानी/अनियमित रख–रखाव करने तथा कलपूर्जो की गलत फिटींग के कारण वाहन/मशीनों को हुए नुकसान की राशि बिडर से वसूल की जायेगी। इस संबंध में प्रभारी का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा।

04. वाहन एवं मशीन के संधारण एवं संचालन हेतु उपलब्ध कराये गये वाहन चालक के साथ घटित किसी भी प्रकार की दुर्घटना आकस्मिक हानियों अथवा नुकसान के लिए बिडर का ही उत्तरदायित्व रहेगा। बिडर के किसी भी वाहन दुर्घटना के लिए नगर निगम जोधपुर (दक्षिण) उत्तरदायी नहीं होगा। इस हेतु बिडर अपने स्तर पर अपने कामगारों का आवश्यक व उचित रूप से बीमा करवाने को बाध्य होगा।

05. मेन्टेनेन्स में लगाये जाने वाले पार्ट्स निर्माता कम्पनी ब्रान्टो स्काई लिफट कम्पनी के होंगे।

06. बिडर को आवश्यक पार्टस का एक सेट (ब्रान्टो स्काई लिफट कम्पनी द्वारा निर्मित) अलग से तैयार रखना होगा ताकि वाहन खराब होने पर शीघ्र दुरस्त किया जा सके।

07. वाहन का संधारण नगर निगम जोधपुर (दक्षिण) के अग्निशमन केन्द्र जोधपुर में ही करना होगा।

08. ए एच पी एल वाहन का माह में एक बार सर्विसिंग व समय–समय पर ग्रीसींग का कार्य करना होगा।

09. बीडर का कार्य सन्तोषप्रद होने पर आपसी सहमति से निविदा अवधि को एक वर्ष और बढाया जा सकेगा एवं कार्य असंतोषप्रद होने पर नोटिस देकर कार्य को बन्द भी कराया जा सकता है।

10. किसी भी विवाद में आयुक्त/महापौर नगर निगम जोधपुर (दक्षिण) का निर्णय ही अन्तिम निर्णय होगा।

11. सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र जोधपुर न्यायालय ही रहेगा।

Signature valid

Digitally signed by Utsav Kaushal
Designation: Commissioner
Date: 2023.07.29 17:54:15 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4406549

6 सामान्य शर्ते :–

1. निविदा द्वि–स्तरीय बिड पद्धति के अनुसार ऑनलाईन आमंत्रित की गई है जिसमें प्रथम तकनीकि बिड होगी जिसमे तकनीकि निविदा के साथ मांगे गए सभी दस्तावेज एवं निविदा के लिए निर्धारित तकनीकि मापदण्डो से संबंधित सभी दस्तावेजो की प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होगी। द्वितीय बिड वित्तिय बिड होगी जिसमें उपरोक्त कार्य करने हेतू कार्य की दर ऑनलाइन ही अपलोड किए गए निर्धारित प्रारूप **(BOQ)** में प्रस्तुत करनी होगी। तकनीकि बिड में निविदा के लिए निर्धारित मापदण्डो के परिपेक्ष्य में योग्य पाए जाने पर सफल निविदादाताओं की वित्तिय बीड खोली जाएगी। जिसकी सूचना प्रथक से प्रेषित की जाएगी।
2. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रकिया शुल्क हेतु डी.डी./बैंकर्स चैक की मूल प्रति अग्निशमन केन्द्र शास्त्रीनगर नगर निगम जोधपुर दक्षिण जोधपुर में नियमानुसार निविदा खोले जाने के समय से पूर्व में जमा कराना आवश्यक है। बिना निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रकिया शुल्क के निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
3. निविदा शुल्क व ई–प्रक्रिया शुल्क की राशि वापस नहीं दी जावेगी। निविदा प्रस्तुत करने के लिए सभी व्यय संवेदक द्वारा वाहन किया जावेगा। उक्त व्यय के लिए नगर निगम जोधपुर (दक्षिण) उत्तरदायी नहीं हैं।
4. निविदा दस्तावेज अपलोड करने से पूर्व निविदादाता को कार्य की प्रकृति, कार्यस्थल इत्यादि का निरीक्षण/जानकारी कर लेने की सलाह दी जाती है। इससे संबंधित समस्त व्यय निविदादाता को ही वहन करने होंगे। यदि निविदादाता कार्य स्थल का निरीक्षण नहीं करता है तो यह माना जावेगा कि वह कार्य की प्रकति, कार्य स्थल एवं उससे संबंधित की पूर्ण जानकारी रखता है।
5. निविदादाता कार्य की प्रकति, कार्य स्थल , निविदा दस्तावेज, विभिन्न नियम शर्तो/निर्देशों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय प्रस्ताव में अपनी दरें प्रस्तुत करे। प्रस्तुत दरें जी.एस.टी के अतिरिक्त सभी करों सहित होगी।
6. निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात निविदादाता, निविदा में किसी प्रकार संशोधन/निविदा को प्रत्याहत नहीं कर सकेगा।
7. निविदा कार्य से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना, विभिन्न नियम/शर्तो, विवरण पर संशय होने पर निविदा प्रपत्र अपलोड करने से पूर्व में कार्यालय समय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ,
8. वित्तीय प्रस्ताव में प्रस्तुत दरों में जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) के अतिरिक्त सभी टैक्स सम्मिलित होंगे। जीएसटी लागू होने पर पृथक से देय होगा। भुगतान में से टी.डी.एस व अन्य करों की कटौती नियमानुसार की जायेगी तथा सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
9. संविदा की अवधि एक वर्ष की होगी।
10. कार्य संतोषजनक होने पर संवेदक की सहमति से उसी दरों पर कार्य करने हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्य अवधि बढाये जाने हेतु स्वतंत्र हैं। कार्य संतोषजनक नहीं होने अथवा अन्य विशेष परिस्थितियाँ होने पर नगर निगम किसी भी समय निविदा निरस्त कर सकता है जिस पर कोई वाद मान्य नही होगा तथा न ही निविदा में शेष बचे समय के लिए संवेदक को कोई क्षतिपूर्ति राशि देय होगी।
11. नगर निगम (दक्षिण) एवं निविदादाताओं के मध्य निविदा एवं निविदा से संबंधित समस्त दस्तावेज हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में होंगे। हिन्दी/अंग्रेजी के अतिरिक्त निविदा में दस्तावेज अन्य भाषा में होने पर इन दस्तावेजो का पूर्ण शुद्ध रूपान्तरण हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में करके अपलोड करने होंगे। निविदादाता के वित्तीय प्रस्ताव INR में ही प्रस्तुत करने होंगे।

Signature valid

Digitally signed by Utsav Kaushal
Designation: Commissioner
Date: 2023.07.29 17:54:15 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4406549

12. नियमित कार्य हेतु समय पाबन्द व्यवस्था व त्वरित निर्देश प्रवाह हेतु निविदादाता को निरन्तर संचालन स्थिति में टेलिफोन/मोबाईल टेलीफोन की व्यवस्था रखनी होगी जिसके अभाव में शर्तो का उल्लंघन माना जावेगा। निविदादाताओं को जोधपुर स्थित अपने कार्यालय/कार्यशाला का पूर्ण पता देना होगा।
13. उपरोक्त जॉब कार्य पूर्ण रूप से कान्ट्रेक्ट बेसिस पर होगा। फर्म द्वारा संचालन रखरखाव के लिये लगाये चालक, श्रमिक का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक स्वयं का होगा। किसी भी स्थिति में इन चालकों/श्रमिकों की सेवा व कार्य संबंधी मामले में विवाद पर नगर निगम जोधपुर (दक्षिण) का कोई दायित्व नहीं होगा तथा ना ही किसी प्रकार का क्लेम देय होगा।
14. नगर निगम (दक्षिण) के द्वारा कार्यादेश देने के पश्चात सफल संवेदक को निम्न औपचारिकताएं 7 दिवस में पूर्ण करनी होगी –

(क) नियमानुसार अनुबन्ध पत्र नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करने हेतु।

(ख) निविदा की राशि के 5 प्रतिशत के बराबर राशि 950000/– प्रतिभूति राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/शेड्यूल बैंक की बैंक गारण्टी/शेड्यूल बैंक की एफ.डी.आर "Commissioner Nagar Nigam Jodhpur South" के नाम से जोधपुर में देय प्रस्तुत करने हेतु।

(ग) नगर निगम बैंक गारण्टी जारी करने वाले बैंक से बैंक गारंटी प्रमाणीकरण करवाने हेतु स्वतंत्र है।

(घ) प्रतिभूति राशि जब्त करने की स्थिति में एफ.डी.आर भी उक्त एफ.डी.आर पर ब्याज सहित जब्त होगी।

(ड) प्रतिभूति राशि निविदा पूर्ण होने की दिनांक से 60 दिवस बाद तक वैध होनी आवश्यक है।
15. सफल निविदादाताओं को 7 दिवस में अनुबन्ध पत्र भरकर देना होगा तथा निविदा की राशि के पांच प्रतिशत की दर से प्रतिभूत राशि निगम कोष में जमा करवानी होगी।
16. यदि सफल निविदादाता समयावधि में अनुबंध पत्र एवं प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है तो जोधपुर नगर निगम (दक्षिण) इस निविदादाता की निविदा को निरस्त कर एवं धरोहर राशि जब्त करते हुए RTTP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए अगले न्यूनतम निविदादाता (L2) को कार्यादेश जारी करने हेतु स्वतंत्र है।
17. सफल निविदा की निविदा के समय जमा करायी गयी धरोहर राशि को प्रतिभूत राशि के प्रति समायोजित कर लिया जाएगा। धरोहर राशि पर कोई ब्याज संदत नहीं किया जायेगा।
18. इस विभाग द्वारा प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज संदत नहीं किया जाएगा।
19. केन्द्रीय सरकार तथा राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति की राशि प्रस्तुत किए जाने से मुक्त करेंगे।
20. प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण (Forfeiture) :– प्रतिभूति की राशि का निम्नलिखित प्रकरणों में पूर्णतः या अंशतः समपहरण किया जा सकेगा।

(क) जब संविदा के किसी निबन्धन और शर्तो को भंग किया जाता है।

(ख) जब निविदादाता संतोषप्रद रूप से सेवा प्रदाय करने में विफल रहाता है।

Signature valid

Digitally signed by Utsav Kaushal
Designation: Commissioner
Date: 2023.07.29 17:54:15 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4406549

(ग) जब निविदादाता कार्यालय आदेश जारी होने के पश्चात दी गई समयावधि में अनुबंध पत्र प्रस्तुत नहीं करता है।

(घ) जब निविदादाता कार्यादेश में दी गई समयावधि में अंकित कार्य का संचालन प्रारम्भ नही करता है।

(ड) प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के मामले में उपयुक्त समय का नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में कय अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

21. निम्न स्थिति में धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी
    i. यदि निविदादाता निविदा खोलने के बाद से निविदा स्वीकार करने तक निविदा वापस ले लेता है या शर्तो में किसी तरह का संशोधन करता है।
    ii. जब निविदादाता कार्यालय आदेश जारी होने के पश्चात दी गई समयावधि में अनुबंध पत्र प्रस्तुत नहीं करता है।
    iii. यदि सफल निविदादाता कार्यादेश के अनुसार दी गई अवधि में निविदा में अंकित कार्य का स्रंचालन प्रारम्भ नही करता है।
    iv. जब प्रदाय आदेश दिए जाने के पश्चात निविदादाता प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।
    v. यदि निविदादाता निविदा प्रपत्र में दी गई शर्तो का उल्लंघन करता है।

22. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा को निम्न स्थितियों में निरस्त माना जायेगा यदि –
    (1) निविदा दस्तावेजों के प्रावधान के अनुसार योग्यता नहीं रखता हों
    (2) निविदा के साथ धरोहर राशि जमा नहीं की गई हो।
    (3) जानबूझकर तथ्यों को छिपाया गया हो या गलत पेश किया गया हो।
23. समयावधि के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता द्वारा समयावधि के पश्चात निविदा प्रस्तुत करने के लिए जोधपुर नगर निगम (दक्षिण) उत्तरदायी नहीं होगा। निविदा दस्तावेज/शुद्धिपत्र/संशोधन ई–प्रोक्योमेन्ट/SPPP पॉर्टल से डाउनलोड नही होने पर नगर निगम जोधपुर(दक्षिण) उत्तरदायी नहीं है।,
24. निविदा पर अन्तिम निर्णय होने व कार्यादेश जारी करने के पश्चात सफल निविदादाता के अलावा शेश सभी निविदादाताओं की धरोहर राशि बिना ब्याज के लौट दी जावेगी जो कि नगर निगम कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकेगी।
25. नगर निगम (दक्षिण) निविदा स्वीकार करने, अस्वीकार करने, आंशिक स्वीकार करने, निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
26. निविदा में एक फर्म एक ही नाम से भाग ले सकेगी। एक से अधिक नामों के लिए टेण्डर स्वीकार नहीं किया जावेगा।
27. न्यूनतम निविदा स्वीकार करने के लिए नगर निगम बाध्य नहीं है। आदेश देने के पूर्व तक नगर निगम सभी निविदाओं को निरस्त कर सकती है।
28. स्वेदक की दर पर नगर निगम (दक्षिण) संवेदको से दरों का विश्लेशण मांग सकती है।

Signature valid
Digitally signed by Utsav Kaushal
Designation: Commissioner
Date: 2023.07.29 17:54:15 IST
Reason: Approved

29. सफल निविदादाता द्वारा दो वर्षो की कार्य अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने एवं किसी भी तरह का निगम में बकाया नहीं होने के पश्चात प्रतिभूति राशि बिना ब्याज के लौटाई जायेगी।

30. बोलीदाता/संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगाः–

क. सं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक कमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियम एवं उन्मूलन) अधिनियम,1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम,1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,1948				
4.	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
5.	आय कर (पैन नंबर)				
6.	राजस्थान दुकान एव वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अर्न्तगत				

31. जॉब बेसिस पर सेवाओं के उपापन के लिये निविदा में दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेंगी :–

क. सं.	सेवा का नाम	श्रमिकों को देय पारिश्रामिक जो कि प्रचालित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी। मय संख्या				EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सामग्री राशि/उपकरण किराया	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
		श्रमिक की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी दर	श्रमिकों की संख्या	राशि					
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		1. अकुशल 2.अर्द्व कुशल 4.उच्च कुशल								

Signature valid
Digitally signed by Utsav Kaushal
Designation: Commissioner
Date: 2023.07.29 17:54:15 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4406549

(उपार्युक्त तालिका में स्तम्भ संख्या 1 से 7 तक की पूर्तिया सम्बन्धित उपापन संस्था द्वारा ही की जाकर बोली दस्तावेज में ही अंकित कर उपलब्ध कराई जायेंगी तथा केवल स्तम्भ संख्या 8 एवं 9 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां अंकित की जा सकेंगी)

32. संवेदक के माध्यम से सेवाओं के उपापन के लिये निविदा में दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेंगी:—

क.सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 अकुशल— 2.अर्द्व कुशल— 3.कुशल— 4.उच्च कुशल—						

(उपर्युक्त तालिका में स्तम्भ संख्या 1—4, 6 व 7 की पूर्तियां सम्बन्धित उपापन संस्था द्वारा की जाकर बोली दस्तावेज में ही उपलब्ध कराई जायेंगी तथा शेष स्तम्भ संख्या 5, 8 एवं 9 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां की जा सकेगी।)

33. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11,वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

34. राजस्थान अनुवंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम,1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण—पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ सम्बन्धित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।

35. यदि किसी उपापन संस्था को अंशकालिक (Part-time) मानव संसाधन की सेवाओं की 4 घण्टे से कम अवधि के लिये आवश्यकता हो तो ऐसी अंशकालिक सेवा का बोली दस्तावेजों में स्पष्ट उल्लेख करते हुए सम्बधित उपापन संस्था द्वारा बिड सम्बन्धी कार्रवाई की जावेगी।

ऐसे अंशकालिक मानव संसाधन जिनकी सेवाएं 4 घण्टे से कम अवधि के लिए ली जायेंगी। उन्हें उनकी सेवाओं के विरूद्व न्यूनतम मजदूरी की गणना श्रम विभाग द्वारा समय—समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की 50 प्रतिशत राशि पर की जायेगी।

Signature valid

Digitally signed by Utsav Kaushal
Designation: Commissioner
Date: 2023.07.29 17:54:15 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4406549

36. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातें में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को अगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

37. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

38. श्रामिकों को निर्धारित न्यून्तम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्वि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक कों बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

39. संवेदक को राज्य/ केंन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौति और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने अगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों कें ई.पी.एफ और ई.एस.आई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

40. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards बोर्ड लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम,संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु Helpline नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।

41. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।

42. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर.GST.की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर GST.के चालान की प्रति अगामि माह के बिल के साथ अनिवार्य रू॰ से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर GST.की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नही किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर. GST.के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

Signature valid
Digitally signed by Utsav Kaushal
Designation: Commissioner
Date: 2023.07.29 17:54:15 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4406549

43. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उननियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अर्न्तगत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वंय उतरदायी होगा।

44. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिए उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

45. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

46. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई करवाने/ सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

47. यदि संवेदक द्वारा नियामनुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और, नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को.Debar कराने की कार्यवाही करेगा।

48. यदि किसी संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मददेनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो,तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतन मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए, इसे पृथ्क से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी के ऊपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को किया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले सम्बन्धित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

49. उपापन संस्था द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पशचात् कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।

Signature valid

Digitally signed by Utsav Kaushal
Designation: Commissioner
Date: 2023.07.29 17:54:15 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4406549

7. कार्य विधि एवं वाहन से संबंधित विवरण :-

7.1 वाहनो के संचालन हेतु दक्ष व प्रशिक्षित वैध लाईसेन्सधारी चालक होना आवश्यक है।

7.2 निविदादाताओं को चालक आदि का उपयुक्त बीमा/इन्श्योरेन्स कराना होगा तथा श्रम नियमों एवं भविष्य निधि नियमों की पूर्ण पालना करनी होगी।

7.3 संवेदक द्वारा लगाये गये सभी वाहन चालक अनुशासित, समय पाबन्द, मृदुभाषी होंगे। उनके दुर्व्यवहार व गलत आचरण के लिये निविदादाता की जिम्मेदारी होगी।

7.4 वाहन चालक को किसी भी प्रकार का टी.ए या डी.ए नगर निगम जोधपुर (दक्षिण) की ओर से देय नहीं होगा।

7.5 वाहन और वाहन चालकों का विवरण :-

(अ) निम्न प्रपत्र में सूचना कार्यादेश जारी होने के बाद लेकिन कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मुख्य अग्निशमन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी।

क. सं.	वाहन चालक का नाम व पता	ड्राईविंग लाईसेन्स नंबर	लाईसेन्स की वैद्यता दिनांक
1			
2			
3			

7.6 संवेदक द्वारा वाहन चालको/कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण एवं वर्दी अपने स्तर पर उपलब्ध करवायें जावेंगे तथा कार्य के दौरान हमेशा सुरक्षा उपकरण साथ रखने होंगे। कार्य हेतु एव कार्य के दौरान वाहन चालकों की सम्पूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिए नगर निगम जोधपुर (दक्षिण) उत्तरदायी नहीं होगा।

8. दुर्घटना :-

8.1 कार्य हेतु व कार्य के दौरान किसी भी तरह की जान माल की हानि,वाहन दुर्घटना या चोरी होने की स्थिति में किसी क्लेम या थर्ड पार्टी डेमेज नुकसान के लिये नगर निगम जोधपुर (दक्षिण) उत्तरदायी नहीं होगा तथा ना ही किसी प्रकार का भुगतान नगर निगम जोधपुर (दक्षिण) द्वारा देय होगा। सभी प्रकार के अदालती विवादों के लिये संवेदक जिम्मेदार होगा।

8.2 दुर्घटना या दोषपूर्ण संचालन आदि के कारण सार्वजनिक स्थल/कार्य स्थल पर वाहन से हुई टूट फूट के लिये नगर निगम जोधपुर (दक्षिण) उत्तरदायी नहीं होगा।

09. निगम शक्तियाँ एवं शास्तियाँ :-

9.1 कार्य स्थल पर किसी प्रकार के हादसे के लिए संवेदक जिम्मेदार होगा। किसी भी स्तर पर नगर निगम जोधपुर (दक्षिण) की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। संवेदक वाहन पर कार्य पर लगे श्रमिकों/चालकों को संबंधित सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवायेंगे। इनके साथ किसी भी तरह का हादसा होने पर संवेदक जिम्मेदार होगा। किसी भी क्लेम के लिए नगर निगम जोधपुर (दक्षिण) उत्तरदायी नहीं होगा।

Signature valid
Digitally signed by Utsav Kaushal
Designation : Commissioner
Date: 2023.07.29 17:54:15 IST
Reason: Approved

9.2 कार्य आरम्भ से समाप्ति अवधि के दौरान नगर निगम जोधपुर (दक्षिण) अधिकारी किसी भी समय वाहनों का निरीक्षण करने के लिये स्वतंत्र होंगे।

9.3 निविदादाता द्वारा कार्य ना करने पर रिस्क एवं कोस्ट पर अन्य फर्म से कार्य कराया जा सकेगा। अन्य फर्म से कार्य कराने पर अन्तर राशि संवेदक से वसूली जायेगी तथा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए फर्म के विरूद्ध RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

9.4 निविदा संबंधित RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013 की शर्ते यथा परिवर्तन लागू होगी।

9.5 सभी विवादों का न्याय क्षेत्र जोधपुर होगा। सभी प्रकार के अदालती विवादों के लिए संवेदक/फर्म जिम्मेदार होगा।

9.6 किसी भी विवाद में आयुक्त/महापौर द्वारा निर्णय किया जायेगा जो कि अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।

12. <u>निविदा प्रपत्र में संशोधन :–</u>

1. नगर निगम जोधपुर (दक्षिण) निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख तक प्रशासनिक, तकनीकी या किसी भी कारण से निविदा में संशोधन कर सकती है जो कि http://eproc.rahasthan.gov.in , sppp.rajasthan.gov.in, urban.rajasthan.gov.in/mcjs वेबसाईट पर अपलोड किया जावेगा।
2. संशोधन निविदा प्रपत्र का भाग माना जावेगा।

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर दक्षिण

निविदा प्रपत्र पढ व समझ लिया है। इसकी पूर्ण पालना करने को सहमत है तथा अपनी सहमति में मैं/हम निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर व सील लगाकर प्रस्तुत कर रहे है तथा भाग ... ऑनलाइन वितीय निविदा में भरकर प्रस्तुत कर रहे है।

Signature valid

Digitally signed by Utsav Kaushal
Designation : Commissioner
Date: 2023.07.29 17:54:15 IST
Reason: Approved

हस्ताक्षर निविदादाता
नाम, मय मोहर

RajKaj Ref No. : 4406549

परिशिष्ट 'अ'

कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण

कार्य का नाम :– जोधपुर नगर निगम (दक्षिण) के एरियल हाइड्रोलिक प्लेटफार्म लेडर 42 मीटर रेस्क्यू एवं फायर फाईटिंग वाहन संख्या आर जे–19–ई ए–1618 संचालन रखरखाव एवं संधारण कार्य।

वित्तीय बिड

क सं.	कार्य का प्रकार	दर (GST के अतिरिक्त सभी करों सहित)
1	**जोधपुर नगर निगम (दक्षिण) की एरियल हाइड्रोलिक प्लेटफार्म लेडर 42 मीटर रेस्क्यू एवं फायर फाईटिंग वाहन संख्या आरजे–19–ई ए–1618 संचालन रखरखाव व संधारण कार्य**	(अंका में) ....रूपये प्रति वाहन प्रतिदिन (24 घण्टे) (शब्दों में) .... रूपये प्रति वाहन प्रतिदिन (24 घण्टे)

दरों में जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) के अतिरिक्त सभी टैक्स सम्मिलित होंगे। जीएसटी लागू होने पर पृथक से देय होगा।

उपरोक्त कार्य करने हेतु कार्य की दर ऑनलाईन ही अपलोड किये गये निर्धारित प्रारूप (BOQ) में प्रस्तुत करनी होगी।

निविदादाता हस्ताक्षर

नाम मय मोहर

Signature valid
Digitally signed by Utsav Kaushal
Designation: Commissioner
Date: 2023.07.29 17:54:15 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4406549

परिशिष्ट 'ब'

कार्यालय नगर निगम जोधपुर (दक्षिण)

-: अण्डर-टेकिंग :-

निविदा के लिये मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत किये गये सभी पत्र व जानकारियां सही व सत्य है, यदि यह गलत व असत्य पायी गयी तो मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा निरस्त कर मेरी/हमारी जमा धरोहर राशि जब्त करने के लिए आप अधिकृत है।

मेरे/हम को यह ज्ञात है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत पत्र/जानकारी निविदा के कार्य समय में कभी भी असत्य व गलत पायी जाने पर मेरी/हमारी निविदा निरस्त कर दी जावेगी तथा धरोहर राशि व भुगतान आदि राशि जब्त कर ली जावेगी।

मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि मैनें/हमने कार्य स्थल तथा कार्य विवरण को देख समझ लिया है। मैं/हम स्वीकार करते है कि हमारी जमा की गई धरोहर राशि तथा सिक्योरिटी डिपोजिट पर ब्याज देय नहीं होगा। तथा अगर मैनें/हमने (1) अपनी निविदा दर की वैद्यता 90 दिवस से कम समय के लिये प्रस्तुत की (2) दरें स्वीकृति के पश्चात निविदा के निर्देशों की निर्धारित समय में पालनी नहीं की (3) आदेशित कार्य समय पर प्रारम्भ नहीं किया (4) निविदा प्रपत्र के व नगर निगम जोधपुर (दक्षिण) के आदेश/निर्देश की पालना नहीं की तो नगर निगम जोधपुर (दक्षिण) द्वारा निविदा निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।

मुझे/हमें यह ज्ञात है कि सिक्योरिटी डिपोजिट का कार्य समाप्त होने के पश्चात मांग करने पर बिना ब्याज के भुगतान किया जावेगा।

निविदा स्वीकार होने पर निविदा के नियम, शर्तो, संलग्न प्रपत्रों, निगम आदेशों की पालना करने के लिये मैं/हम बाध्य है तथा सहमति देते है।

मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि नगर निगम (दक्षिण) प्रशासनिक, विधिक या अन्य किसी कारण से भी समय कार्यादेश को निरस्त कर सकता है तथा इसका कोई क्षतिपूर्ति भुगतान नहीं किया जावेगा। इसकी मैं/हम सहमति देते है।

मै/हम यह भी घोषणा करते है कि मैं/हमारी फर्म कहीं पर भी ब्लैक लिस्टेड नहीं है।

मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि मैं/हमारा कोई भी नजदीकी रिश्तेदार नगर निगम जोधपुर (दक्षिण) में कार्यरत नहीं है।

दिनांक – ....

Signature valid
Digitally signed by Utsav Kaushal
Designation: Commissioner
Date: 2023.07.29 17:54:15 IST
Reason: Approved

निविदादाता का नाम
व हस्ताक्षर मय सील

RajKaj Ref No. : 4406549

Jodhpur municipal corporation

Declaration by the bidder in compliance of section 7& 11 of the act

Declaration by the bidder /jv

In Relation To Our Bid Submitted To..................[Enter Designation And Address Of Procuring Entity] For Procurement Of................[Insert Name Of The Works] In Response To Their Notice Bids No.............. Dated ....We Hereby Declare Under Section 7& 11 Of The Rajasthan Transparency In Public Procurement Act,2012,That;

1. We Possess The Necessary Professional ,Technical, Financial And Managerial Resources And Competence Required By The Bidding Document Issued By The Procuring Entity;

2. We Have Fulfilled Our Obligation To Pay Such Of The Taxes Payable To The Central Government Or The State Government Or Any Local Authority, As Specified In The Bidding Document;

3. We Are Not Insolvent, In Receivership ,Bankrupt Or Being Wound Up, Not Have My/Our Affairs Administered By A Court Or A Judicial Officer, Not Have My/Our Business Activities Suspended And Are Not The Subjects Of The Legal Proceedings For Any Of The Foregoing Reasons;

4. We Do Not Have ,And Our Directors And Officers Not Have, Been Convicted Of Any Criminal Offence Related To Our Professional Conduct Or The Making Of False Statements' Or Misrepresentations As To Our Qualifications To Enter Into A Procurement Contract Within A Period If Three Years Preceding The Commencement Of This Procurement Process, Or Not Have Been Otherwise Disqualified Pursuant To Debarment Proceedings;

5. We Do Not Have A Conflict Of Interest As Specified In The Rajasthan Transparency In Public Procurement Act, The Rajasthan Transparency In Public Procurement Rules And This Bidding Document, Which Materially Affects Fair Competition;

6. We Have Complied And Shall Continue To Comply With The Code Of Intergrity As Specified In The Rajasthan Transparency In Public Procurement Act,The Rajasthan Transperancy In Public Procurement Rules And This Bidding Document ,Till Completion Of All Our Obligations Under The Contract.

Date :
Place :

Signature Of Bidder
Name :
Designation :
Address:

Signature valid

Digitally signed by Utsav Kaushal
Designation: Commissioner
Date: 2023.07.29 17:54:15 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4406549

तकनीकी निविदा/बोली चैक लिस्ट

निविदादाता द्वारा तकनीकि बिन्दु में निम्नानुसार दस्तावेजो को पी.डी.एफ. अन्तर्गत अपलोड करना होगा।

क्र. सं.	विवरण	प्रमाण पत्र विवरण	हा/नहीं	पृष्ठ संख्या
1	निविदा/बोली अमानत राशि रू. 38000/- (रूपये अडतीस हजार मात्र) की डी.डी./बैंकर चैक आयुक्त, नगर निगम जोधपुर दक्षिण के नाम सलंग्न होगी (स्केन कॉपी)	डी.डी. नम्बर... दिनांक..		
2	निविदा/बोली शुल्क रू. 1000/- (रूपये एक हजार मात्र) की डी.डी./बैंकर चैक आयुक्त, नगर निगम जोधपुर दक्षिण के नाम (स्केन कॉपी)	डी.डी. नम्बर... दिनांक..		
3	ई-टेण्डरिंग प्रकिया शुल्क रू. 1000/- (रूपये एक हजार मात्र) की डी.डी./बैंकर चैक M.D. RISL JAIPUR के नाम। (स्केन कॉपी)	डी.डी. नम्बर... दिनांक..		
4	निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ की स्व-प्रमाणित प्रति।			
5	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970	रजि. सख्या... दिनांक..		
6	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के पंजीयन की स्व-प्रमाणित प्रति।	रजि.सख्या......................दिनांक............... चालान सं........................दिनांक................		
7	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के पंजीयन की स्व-प्रमाणित प्रति।	रजि.सख्या......................दिनांक............... चालान सं........................दिनांक................		
8	वस्तु एवं सेवा कर (GST) के पंजीयन की स्व-प्रमाणित प्रति।	रजि.सख्या......................दिनांक............... चालान सं........................दिनांक................		
9	आयकर (पेन नम्बर) पंजीयन की स्व-प्रमाणित प्रति।	पे.नम्बर..		
10	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत पंजीयन की स्व-प्रमाणित प्रति।	रजि.सख्या.....................दिनांक............... रजि.सख्या.....................दिनांक............... रजि.सख्या.....................दिनांक...............		

Signature valid

Digitally signed by Utsav Kaushal
Designation: Commissioner
Date: 2023.07.29 1?:54:15 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4406549

11	गत तीन वित्तीय वर्षो में औसतन प्रतिवर्ष 25 लाख टर्न ओवर की सी.ए. ऑडिट रिर्पोट्स की स्व–प्रमाणित फोटो प्रतियां।	प्रमाण पत्र... दिनांक..		
12	निविदादाता फर्म का पिछले तीन वर्षो का इनकम टैक्स रिटर्न, ऑडिटेड बैलेंस सीट, एवं स्व प्रमाणित फोटो प्रतियां।	वित्तिय वर्ष 2020–21, 2021–22, 2022–23		
13	निविदा दाता का वित्तिय स्थिति सुदृढ होने के प्रमाण हेतु बैंक गारण्टी के तौर पर हैसियत प्रमाण पत्र/बैंक सोलवेंसी कम से कम 15 लाख रूपये तक होना आवश्यक हैं।	प्रमाण कमांक.. दिनांक..		
14	संवेदक को राजस्थान पुलिस द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र (पिछले छ माह का) निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य हैं।	प्रमाण पत्र... दिनांक..		
15	निविदा के साथ निविदा दाता का पिछले तीन वर्षो में से किसी एक वर्ष में किसी एक एएचपीएल वाहन के संचालन व रखरखाव का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक हैं।	प्रमाण कमांक.. दिनांक..		
16	सयुक्त उद्यम का अनुबन्ध तथा मुख्य बोली का अधिकार पत्र (यदि लागू हो तो) की स्व–प्रमाणित फोटो प्रतिया।	प्रमाण पत्र... दिनांक..		
18	अण्डर टैकिंग	परिशिष्ट 'घ'		
19	अन्य दस्तावेज	विवरण 1. 2. 3. 4.		

Signature valid

Digitally signed by U[illegible]v Kaushal
Designation: Com[illegible]sioner
Date: 2023.0[illegible] 1[illegible]:54:15 IST
Reason: Approve[illegible]